प्रेस विज्ञप्ति
12.11.2025

पीएमएलए मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रयासों के अनुरूप, गुरुग्राम स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर की माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) ने रियल्टी फर्म एसआरएस ग्रुप द्वारा किए गए घोटाले में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं। माननीय न्यायालय ने दिनांक 03.11.2025 के आदेश के तहत एसआरएस ग्रुप के प्रमोटर-निदेशक अनिल जिंदल और अन्य संबंधित व्यक्तियों, अर्थात् विनोद जिंदल, बिशन बंसल, राजेश सिंगला, विनोद कुमार गर्ग, नवनीत क्वात्रा, सीमा नारंग, धीरज गुप्ता, देवेंद्र अधाना और संबंधित कंपनियों, अर्थात् मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड, मेसर्स होराइजन ग्लोबल लिमिटेड और मेसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

ईडी ने फरीदाबाद, दिल्ली और सीबीआई के विभिन्न पुलिस थानों में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 81 एफआईआर के आधार पर एसआरएस ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू की। ग्रुप पर निवेशकों और बैंकों से 2200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि एसआरएस समूह के आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं ने निवेशकों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न और विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया। ऐसे निवेशों से प्राप्त धनराशि को एसआरएस समूह द्वारा बनाई गई सैकड़ों फर्जी कंपनियों में जमा किया गया और बाद में उनका धन शोधन किया गया। इस मामले में 2215.98 करोड़ रुपये का एक अनंतिम कुर्की आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है और इसके बाद ईडी द्वारा 29.08.2022 को माननीय पीएमएलए की विशेष अदालत, गुरुग्राम के समक्ष COMA 14/2022 में अभियोजन शिकायत दायर की गई।

वर्तमान घटनाक्रम ने आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने और कुर्क की गई संपत्तियों को वैध दावेदारों/घर खरीदारों को वापस करने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह न्याय की खोज और धोखाधड़ी से पीड़ित निवेशकों के अधिकारों के प्रवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे पहले, इस मामले में, तीन अन्य आरोपी व्यक्तियों, प्रवीण कुमार कपूर, सुनील जिंदल और जितेंद्र गर्ग को विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था और ईडी द्वारा इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया

था। इसके अलावा, ईडी द्वारा उनके खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई थी। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर, प्रवीण कुमार कपूर को अमेरिका के नेवार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया और 02.11.2025 को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत निर्वासित कर दिया गया। अब, चूँकि आरोप तय हो चुके हैं, यह कार्यालय कानून के अनुसार, वैध दावेदारों को संपत्ति वापस दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगा।

आगे की जाँच जारी है।